

भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

सं. 1601/28/2008-टीवी (I)

दिनांक 8.9.2008

आदेश

प्रसारणकर्ताओं को अपनी विषय-वस्तु इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता को प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए टेलीविजन चैनलों को डाऊनलिक करने के नीतिगत दिशानिर्देशों को संशोधित करने के संबंध में दिनांक 21 अगस्त, 2008 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में डाऊनलिक दिशानिर्देशों के मौजूदा खण्ड 5.6 को इस प्रकार संशोधित किया गया है।

"5.6 आवेदक कम्पनी केवल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटरों अथवा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत डीटीएच ऑपरेटर अथवा मौजूदा टेलीकॉम लाइसेंस के तहत विधिवत रूप से अनुमति प्राप्त अथवा टेलीकॉम विभाग द्वारा इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता को ही सैटेलाइट टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डिकोडर्स प्रदान करेगी"।

(जोहरा चटर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. : 23382597

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली।

3. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स निकेतन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
8. सीईओ : प्रसार भारती सचिवालय, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटों मार्ग), नई दिल्ली।